संख्या– 4420/9–1–13–414 सा./13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0,
लखनऊ

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊःदिनांकः 11 सितम्बर, 2013

विषयः– नगरीय निकायों में Manual Scavengers के सर्वे कार्य हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि रूपया 153.13 लाख बैंक में जमा हेतु बैंक खाता खोलने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रसंख्या–137/2110/013, दिनांक 22 अगस्त, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,, जिसमे भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को जमा करने हेतु बैंक में खाता खोलने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय निकायों में Manual Scavengers के सर्वे कार्य हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि रूपया 1,53,13,000.00 (रूपया एक करोड तिरपन लाख तेरह हजार मात्र) धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को वित्त (लेखा) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–ए–1–22/दस'2012–10(33)2010, दिनांक 21 मार्च 2012 की व्यवस्थानुसार श्री राज्यपाल महोदय निदेशक, स्थानीय निकाय,उ0प्र0 के पदनाम से स्टैट बैंक आफ इण्डिया सहित किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में बैंक खाता खोले जाने की सहर्ष अनुमति निम्न शर्तो/प्रतिबंधो के अधीन प्रदान करते है:–

1. प्रश्नगत बैंक खाता "बचत खाता" होगा।
2. बैंक में खोले गये खाते का संचालन निदेशक स्थानीय निकाय व सहायक निदेशक (लेखा) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
3. बैंक में खोला गया खाता योजनावधि तक ही चालू रखा जायेगा तथा भारत सरकार से योजना समाप्त होने पर खाता नियमानुसार बन्द कर दिया जायेगा।
4. खाते के संचालन एवं रख–रखाव आदि में वित्तीय नियमों एवं आदेशों का समुचित अनुपालन किया जायेगा।
5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–8–3449/दस–13 दिनांक 11 सितम्बर, 2013 पर उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, स्थानीय निकायएउ0यप्र0 लखनऊ।
4. अनु सचिव, शहरीविकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. वित्त (ई–8) अनुभाग/ वित्त (लेखा) अनुभाग–1
6. गार्ड फाईल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(राजेश बहादुर)
अनु सचिव।